भारत सरकार
कार्यालय महाप्रबंधक
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,
गाजीपुर (उ0प्र0)– 233 001

फा0सं0–8/8/02/पी.एस./2018/2039 दिनांक : 31.05.2018

पुराने समाचार पत्रों का विक्रय

इस प्रतिष्ठान के अन्दर पुराने समाचार पत्रों के विक्रय हेतु मुहर बन्द निविदाए दिनांक 21.06.2018 को अपराह्न 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। केवल GSTN पोर्टल पर GST मे रजिस्टर्ड फर्मे ही निविदा डालने के पात्र होगें। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अर्थात दिनांक 21.06.2018 को अपराह्न 4.30 बजे निविदाताओ/उनके उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाऐगी। निविदा का प्रपत्र प्रत्येक कार्य दिवस में दोपहर 12.00 बजे तक प्रतिष्ठान कोषागार में रू0 100/– जमाकर कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ धरोहर राशि (EMD) रू0 5,00/– (रूपया पॉच सौ मात्र) का एफ.डी.आर./सी.डी.आर. संलग्न होना आवश्यक है। उपयुक्त एफ.डी.आर./सी.डी.आर. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत होने चाहिए। बगैर धरोहर राशि के निविदा बिना किसी कारण दर्शाये अस्वीकार कर दिया जाएगा।

कम सं.	सामग्री का विवरण	अनुमानित वजन (किग्रा में)
1	पुराने समाचार पत्र	1214

यह विक्रय/कार्य निम्न शर्तों के अधीन होगा।

1. निविदां प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे ही स्वीकार किया जाएगा।
2. दर दाता अपना दर अंको एवं शब्दो मे (कुल रूपयो में) प्रस्तुत करें।
3. इच्छकु फर्मे विक्रय किए जाने वाले पुराने समाचार पत्रों को टेन्डर फार्म कय करने के पश्चात ही गेट पास जारी कराकर दिनांक 15.06.2018 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच तक प्रतिष्ठान के सामान्य भण्डार के परिक्षेत्र में जैसे है, जहॉ है, की स्थिति में जाकर देख सकते हैं ।
4. पुराने समाचार पत्रों को आदेश प्राप्ति के उपरान्त अगले दो सप्ताह कार्य दिवसों में प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक कारखाना परिसर के बाहर निकालना होगा ।
5. पुराने समाचार पत्रों को प्रतिष्ठान से बाहर निकालने पर यदि शासकीय सम्पत्ति का किसी प्रकार का कोई भी क्षति होता है तो उसकी भरपायी बिना किसी शर्त के फर्म द्वारा किया जायेगा । इसके लिए प्रतिष्ठान से किसी प्राकर का भुगतान नही दिया जायेगा ।
6. विक्रय हेतु सामग्री को प्रतिष्ठान के कमेटी के समक्ष फर्म स्वयं के द्वारा समाचार पत्रों की छटायी कर अलग–अलग सामग्री के अनुसार स्वयं के व्यवस्था के अनुसार अलग–अलग वजन/गणना कराने के बाद उसका मूल्य प्रष्ठिान के कोषागार में जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करना होगा । तत्पश्चात् फर्म विक्रय किये गये समस्त सामग्री को प्रतिष्ठान से बाहर निकालकर स्वयं के कब्जे में लेगी । पूरे समाचार पत्रों को उठाने के बाद फर्म की रखे गये समाचार पत्रों के स्थान को निर्देशानुसार भलीभॉति साफ करना होगा ।
7. आदेश जारी होने के दो सप्ताह के अन्दर कारखाना परिसर से हटाना होगा । ऐसा न करने पर रू0 500 प्रति दिन की दर से जुर्माना राशि देय होगा । जुर्माना जमा करने के उपरान्त ही उक्त कार्य के लिए जमा किया गया जमानत राशि अवमुक्त किया जायेगा ।
8. फर्म द्वारा दिये गये दर पर नियमानुसार लगने वाले टैक्स आदि का भुगतान फर्म को ही स्वयं करना होगा । फर्म को टैक्स आदि जमा करने वाले टैक्स का चालान साक्ष्य के रूप में कार्यालय में जमा करना होगा ।

9. फर्म द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमा धनराशि कार्य के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के पश्चात सक्षम अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त ही वापस किया जायेगा ।

10. किसी भी निविदाओं को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये रद्द करने का अधिकार महा प्रबन्धक के पास सुरक्षित है तथा निविदा में उत्पन्न किसी भी विवाद से सम्बन्धित महा प्रबन्धक द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व अपरकाम्य होगा ।

11. दिये गये दर की वैधता 90 दिन तक लागू रहेगी।

12. आदेश जारी करने के पहले performance security यथा निर्धारित जमा करनी होगी।

31/5/16

कृते महा प्रबन्धक

बन्द लिफाफे में

कोटेशन प्रोफार्मा

सेवा में,
महा प्रबन्धक,
शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना,
गाजीपुर।

महोदय,

निम्नलिखित कार्य हेतु आपके कार्यालय द्वारा जारी टेण्डर/कोटेशन पत्र फा0 सं0 ....दिनांक ....
के सन्दर्भ में मेरा दर निम्नवत् है ।

(अ) दर भरने की सारणी

कम सं.	सामग्री विवरण	मात्रा	दर (अंको में)	कर (यदि हो तो)	कुलयोग (शब्दो म)
1	पुराने समाचार पत्र	1214 Kg			

कुल कीमत (अंको एवं शब्दों म) ....

(ब) नियम एवं शर्तें

1. सभी समानो का दर प्रति कि.ग्रा. के अनुसार प्रस्तुत की गयी है एवं सामगी का दर अंको एवं शब्दों में लिखा गया है ।
2. विक्रय किये जाने वाले समाचार पत्रों को भलीभॉति देखकर एवं संतुष्ट को मेरे दर दिया गया है ।
3. समाचार पत्रों का कार्य आदेश प्राप्ति के अगले दो सप्ताह कार्य दिवसों में प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 2.00बजे के अन्दर कारखाना परिसर के बाहर निकाला जायेगा । कार्य आदेश में दर्शाये गये समय–सीमा के अन्दर यदि उक्त सामग्री को बाहर नहीं लिकाला जाता है तो मेरे द्वारा जमा किया गया जमानत राशि से रू0 100 प्रतिदिन की दर से जुर्माना कटौती की जायेगी । उक्त सभी शर्त मान्य है । कार्य संतोषजनक पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने के बाद ही जमा की गयी जमानत राशि को अवमुक्त की जायेगी ।
4. पंजीकृत एवं अपंजीकृत फर्म निर्धारित जमानत राशि रू0 5,00/– मात्र सीडीआर/एफडीआर सं0 ....दिनांक ....जो प्रबन्धक शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर के पक्ष में देय है । टेण्डर प्रति के साथ संलग्न कर जमा कर रहा हूॅं । मुझे उक्त सीडीआर कार्य संतोशजनक सम्पन्न होने के उपरान्त फर्म द्वारा पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अन्दर वापस किया जाय । जमानत राशि के अभाव में टेण्डर अस्वीकार कर दी जायेगी ।
5. समाचार पत्रों को प्रतिष्ठान से बाहर निकालने पर यदि शासकीय सम्पत्ति का किसी प्रकार का कोई भी क्षति होता है तो उसकी भरपायी बिना किसी शर्त के मेरे द्वारा किया जायेगा । इसके लिए प्रतिष्ठान से किसी प्राकर का भुगतान नही दिया जायेगा ।
6. मेरे द्वारा दिये गये दर की वैधता निविदा खोले जाने की तिथि से 90 दिनो तक वैद्य होगी ।
7. विक्रय सामग्री को प्रतिष्ठान के कमेटी के समक्ष फर्म के द्वारा समाचार पत्रों की छटायी कर अलग–अलग सामगी के अनुसार वजन/गणना कराने के बाद उसका मूल्य प्रतिष्ठान के कोषागार में जमाकर उसकी रसीद प्रस्तुंत की जायेगी । तत्पश्चात् ही मेरे द्वारा उक्त सामग्री को प्रतिष्ठान से बाहर स्वयं के कब्जे में लिया जायेगा । उक्त समाचार पत्रों को उक्त जगह से हटाने के बाद उक्त जगह को सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार ही भलीभॉति साफ की जायेगी ।
8. सामगी के दिये गये दर पर नियमानुससार लगने वाले टैक्स आदि का भुगतान फर्म द्वारा ही किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का टैक्स आदि जमा करने वास्ते चालान बगैरह कार्यालय के निर्देशानुसार जमा किया जायेगा ।

कमशः ...2/

9 किसी भी निविदाओं को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये रद्द करने का अधिकार महा प्रबन्धक के पास सुरक्षित है तथा निविदा में उत्पन्न किसी भी विवाद से सम्बन्धित महा प्रबन्धक द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व अपरकाम्य होगा ।

10 मेरे द्वारा अन्य कोई शर्त नहीं दी जा रही है ।

(क)

भवदीय,

स्थान :–
दिनांक :–

(हस्ताक्षर)
(फर्म की सील)
फर्म का पूरा नाम व पता
टिन सं0–

(I) मेरे द्वारा दर के सारणी (अ) के सभी विष्टियॉ पूर्ण रूपे भरी गयी हैं।

(II) मेरे द्वारा कुल कीमत अंकों एवं शब्दों में भरी गयी हैं।

(III) मेरे द्वारा निविदा एवं बिजक के प्रत्येक प्रति में हस्ताक्षर में भिन्नता नहीं पायी जाएगी तथा बिजक पर रसीदी टिकट अवश्य लगायी जाएगी। अगर हस्ताक्षर में भिन्नता पाई जाती है या रसीदी टिकट नहीं लगायी जाती है तो समय से भुगतान प्राप्त करने का मेरा कोई अधिकार नहीं होगा।

(ख)

(हस्ताक्षर)
(फर्म की सील)
फर्म का पूरा नाम व पता
टिन सं0–

घोषणा

मैं श्री.. निविदा सं0 .... दिनांक.................................. में सभी नियमों को भलीभॉति जान लिया है एवं उसका अनुपालन करता हूँ। यदि निविदा में कोई त्रुटि या अनियमतायें या निविदा पूर्ण रूप से भरी नहीं पाई जाती है तो मेरे निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर को होगा। मेरे द्वारा निविदा फार्म के बिन्दु क, ख एवं ग पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगायी गयी है तथा मेरी फर्म का पूरा पता दिया गया है।

स्थान :–
दिनांक :–

(ग)

(हस्ताक्षर)
(फर्म की सील)
फर्म का पूरा नाम व पता
टिन सं0